24.5.18 पत्रावली लोक अदालत की पेशी पर पेश। वाद नम्बरदार के
आम लोगों पर पेश। वाद
पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं
कि ग्राम खातेदारी पास के आराजी
नम्बर 146/1, रकबा 05 बिस्वा
आराजी नम्बर 146/1 मौजा 9 बीघा
15 बिस्वा कुल किता 02 कुल

रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है
जो राजस्व रेकार्ड में वादी के
नाम पर खातेदारी अधिकार दर्ज
है। और उक्त आराजीयात पर काबिज
होकर उस का उपयोग उपभोग
करता चला आ रहा हूँ। मैंने
जब उक्त भूमि की पैमाइश करवाई
जब पता चला कि दिनांक 15 अप्रैल
2011 को मौका पर बताया गया
जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत
10 वादी की उक्त आराजी में
से प्रतिवादी स. 1 द्वारा 10 बिस्वा
प्रतिवादी स. 2. द्वारा 06 बिस्वा, प्रतिवादी
संख्या 3 ~~ख~~ द्वारा 8 बिस्वा,
प्रतिवादी स. 4 से 7 द्वारा 1 बीघा,
प्रतिवादी स 8 द्वारा 15 बिस्वा प्रतिवादी
स. 9 का 15 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी
संख्या ~~द्वा~~ 10 द्वारा 15 बिस्वा भूमि
पर पर अवैध कब्जा कर रखा
है। जब ~~प्र~~ प्रतिवादीगण को पैमाइश
कराने के पश्चात कब्जा छोड़ने
को कहाँ तो लड़ाई झगड़ा व
मुझ वादी को धमकियां देने लग गये।
अतः उक्त वादी की भूमि से
प्रतिवादीगणों का कब्जा हटाया
जाकर मेरे खाते की भूमि मुझे
सिपुर्द की जावे।

वादी की भूमि पर जबरदस्ती
कब्जा करने दिनांक से कब्जा
सिपुर्द होने तक का हर्जाना प्रतिमाह
15000/- रुपये के हिसाब से वादी
को प्रतिवादी स. 1 से 10 से दिलवाया
जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज
व मौका रिपोर्ट का अवलोकन
किया गया।

आदेश

तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कालियास की आराजी नम्बर 1461 मीन रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा मे से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 06 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 08 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 04 से 05 द्वारा 01 बीघा, प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा 15 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा 15 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण वादी की भूमि पर अवैध कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा कर रखा है जिसे बेदखल कर वादी को कब्जा सुपुर्द करे। डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 25.5.18 को कोर्ट कक्ष आमलोगों मे सरे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़